

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 18(2)एमई/ग्रुप-1/राजमैस/2018/पार्ट/538

दिनांक: 30/04/18

अधिसूचना

इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 91 दिनांक 09.01.2018 के द्वारा राजमैस के Personnell's (Recruitment & Other Conditions) Employment Rules 2017 के Section-1 के Part-VII के नियम 32 के उपनियम (2) के साथ संलग्न Schedule-VII के कॉलम संख्या-3 में अंकित Consolidated Salary for Non Teaching Staff में वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या-151701262 दिनांक 03.01.2018 के अनुसरण में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा दिनांक 16.02.2018 को प्रदत्त सहमति एवं वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 151800105 दिनांक 28.02.2018 के द्वारा पूर्व में आई.डी. संख्या 101703814 दिनांक 24.07.2017 से जारी सहमति में अंकित पद X-Ray Technician को, पूर्ववर्ती शर्तों के अधीन रहते हुए, संशोधित करते हुए Assistant Radiographer में परिवर्तित करने की सहमति प्रदान करने के साथ ही राजमैस के Personnell's (Recruitment & Other Conditions) Employment Rules 2017 के Section-1 के Part-VI के नियम-29 तथा Part-VII के नियम-32 के उपनियम-(2) के साथ क्रमशः संलग्न Schedule-V के "Amount of Fixed Remuneration for Probation Trainee" तथा Schedule-VII "Consolidated Salary for Non Teaching Staff" में, निम्नलिखित पदों तथा उनसे संबंधित पारिश्रमिक/समेकित वेतन को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

S. No.	Name of the Post	Schedule V (Col-3) Amount of Fixed Remuneration for Probation Trainee w.e.f. 01-01-2018	Schedule VII (Col-3) Consolidated Salary for Non Teaching staff w.e.f. 01-01-2018 or from the date the posts are filled in for the 1st time.
1	Medical Recorder Officer	37000	42800
2	Clinical Psychologist	28000	33000
3	Assistant Radiographer	21500	25500
4	Health Education Instructor	21500	25500
5	Assistant Librarian	21500	25500

राज्यपाल सहाय की आज्ञा से

अति.निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
दिनांक: 30/04/18

क्रमांक प. 18(2)एमई/ग्रुप-1/राजमैस/2018/पार्ट/538

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक-मा. अध्यक्ष राजमैस एवं मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. कोषाध्यक्ष एवं अति. निदेशक निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. अति. निदेशक (प्रशा.) एवं समन्वयक, राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, नवीन मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा/भरतपुर/बाड़मेर/चुरू/डूंगरपुर/पाली/सीकर।
10. संयुक्त निदेशक, आयोजना, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर/भीलवाड़ा/भरतपुर/बाड़मेर/चुरू/डूंगरपुर/पाली/सीकर।
12. नोडल अधिकारी, नवीन मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
13. लेखाशाखा, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
14. गार्ड फाईल।

अति.निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव